

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 141/2025

प्रार्थी

बाबुलाल

बनाम

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा : - अन्तर्गत धारा तरमीम दुरुस्ती

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-7-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बाबुलाल पुत्र मादाराम जाति प्रजापत निवासी भगत की कोठी जोधपुर द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम तनावड़ा पटवार हल्का तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा नंबर 114/2 की डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत वन-टू-वन मैपिंग के दौरान की गयी ऑनलाईन तरमीम तकनीकी कारण से मानचित्र एवं मौका स्थिति के विपरित गलत जगह कर दी गयी, जिसे दुरस्त एवं शुद्ध करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लूणी द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/2025/491 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा पेश कर तरमीम दुरस्ती हेतु अनुशंषा की गई।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार अनुसार ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा नंबर 114/2 रकबा 1.3516 हैक्टेयर किस्म बरानी द्वितीय लगान 3 किशनाराम पुत्र मादाराम 1/3, दूदाराम पुत्र मादाराम 1/3 एवं बाबूलाल पुत्र मादाराम 1/3 जातियान कुम्हार(प्रजापति) सा. भगत की कोठी जोधपुर खातेदार वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज है। खसरा नंबर 114/2 की तरमीम पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा ट्रेस में भी दर्ज है जो कि काफी वर्षों पूर्व होने से वर्तमान में धुंधली है। मौके पर उक्त खातेदारान् का इसी अनुसार कब्जाकाश्त है। वर्तमान मौका, कब्जाकाश्त एवं लट्ठा नक्शा अनुसार खसरा संख्या 114/2 की राजस्व नक्शे में दुरस्ती की जाने की अनुशंषा की जाकर जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार शुद्ध किया जाने हेतु अपेक्षित बताया गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तनावड़ा के खसरा नंबर 114/2 की राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरुस्ती हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम तनावड़ा के खसरा नंबर 114/2 की तरमीम राजस्व रेकॉर्ड में मौका एवं रेकॉर्ड अनुसार जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकॉर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फौजल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

पुखराज कांसोटिया
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी